

<p>आदेश का क्रम-संख्या और तारीख 1</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2</p>	<p>आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3</p>
<p>07.07.2017</p>	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल</b></p> <p style="text-align: center;"><u>सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8945 / 2010 से उत्पन्न वाद सं0-12 / डी0एम0 / 2013</u> <u>सच्चिदानन्द मिश्र बनाम सरकार एवं रामकेवल महतो वगैरह</u> <b>आदेश</b></p> <p>वर्तमान सीमांकन वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 8945 / 2010 में दिनांक 15.01.2013 के पारित आदेश के अनुपालन में श्री सच्चिदानंद मिश्र, पिता- स्व0 चन्द्रशेखर मिश्र, ग्राम- मुरादपुर हुजरा टोला- कागजी महल्ला, पो0- बैदराबाद, थाना+जिला- अरवल द्वारा लाया गया है।</p> <p><b>वाद का सरांश-</b> वर्तमान वाद श्री सच्चिदानंद मिश्र द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के सीमांकन वाद संख्या 20 / 2008 सच्चिदानंद मिश्र बनाम देवपति महतो वगैरह खाता संख्या 149, प्लॉट सं0- 160, रकबा- एक एकड़ अवस्थित मौजा महुअरी नुरुल्लाह थाना+जिला- अरवल को मापी कराकर सीमांकन कराने हेतु लाया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल द्वारा दिनांक 30.12.2008 के पारित आदेश में एक ही भूमि को बार-बार निबंधन किये जाने के कारण प्रथम पक्ष को सक्षम न्यायालय में हकियत वाद लाने का अनुदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गई थी।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के पारित आदेश के विरुद्ध श्री सच्चिदानंद मिश्र द्वारा जिला दंडाधिकारी, अरवल के न्यायालय में सीमांकन अपील वाद 02 / डी0एम0 / 2009 सच्चिदानंद मिश्र बनाम देवपति महतो वगैरह दायर किया गया। दिनांक 13.02.2010 / 10.03.2010 को जिला दंडाधिकारी, अरवल द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकार रखते हुए सीमांकन अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।</p> <p>श्री सच्चिदानंद मिश्र द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के पारित आदेश दिनांक 30.12.2008 एवं जिला दंडाधिकारी, अरवल के पारित आदेश दिनांक 13.02.2010 / 10.03.2010 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 8945 / 2010 लाया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.01.2013 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के पारित आदेश दिनांक 30.12.2008 एवं जिला दंडाधिकारी, अरवल के पारित आदेश दिनांक 13.02.2010 / 10.03.2010 के पारित आदेश को रद्द करते हुए जिला दंडाधिकारी, अरवल को फिर से मामले की सुनवाई करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करने का निदेश दिया है। उक्त पारित माननीय न्यायादेश के अनुपालन में वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षीगण को नोटिश निर्गत किया गया। उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख को आदेश पर रखा गया।</p> <p>प्रथम पक्ष का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0- 8945 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2013 के आलोक में लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के आदेश दिनांक 30.12.2008 एवं जिला दंडाधिकारी, अरवल के आदेश दिनांक 13.02.2010 / 10.03.2010 के पारित आदेश विधिक नहीं है उन आदेशों को खारिज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने कहा है कि चकबंदी पदाधिकारी, अरवल के पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। उनका यह भी कहना है कि मौजा महुअरी नुरुल्लाह थाना नं0 25 में खाता संख्या 149 प्लॉट सं0 160 में कुल 1 एकड़ 37 डी0 है जिस पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है तथा मालगुजारी का</p>	

भुगतान भी अद्यतन किया जा रहा है। अपीलार्थी के दादा स्व० बलदेव मिश्र ने वसीका नं० 195, दिनांक 22.01.1932 को 82 डी० जमीन खाता सं० 149 प्लॉट सं० 160 एवं 103 में देवन महतो से खरीदा था। जिसमें 75.66 डी० जमीन प्लॉट सं० 160 की तथा शेष जमीन प्लॉट सं० 103 की थी। उनका यह भी कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमिनल रिविजन 899/1985 में पारित आदेश दिनांक 15.01.1990 से भी स्पष्ट है कि प्लॉट नं० 160 में कुल 82 डी० भूमि पर इनका दखल कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि वसीका संख्या 7242 दिनांक 14.06.1951 को अपीलकर्ता की मां स्व० रामकुंवर के नाम से खाता सं० 149 प्लॉट सं० 160 रकबा 55 डी० भूमि तील कुंवर से खरीद की गई एवं शांतिपूर्ण दखल काबिज है। उक्त दोनो निबंधित विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या फर्जी घोषित नहीं किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि रामरतन महतो उतरवादी संख्या 4 के चाचा थे ने अपने हिस्से के 82 डी० जमीन अपनी बहन तील कुंवर को दिनांक 15.04.1948 को बेचा था जिसका निबंधित केवाला संख्या 3757 है। 82 डी० जमीन में से 55 डी० जमीन अपीलार्थी की मां स्व० रामकुंवर ने उन्ही तीलकुंवर से केवाला के माध्यम से खरीदा था। उनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमिनल रिविजन संख्या 899/1985 में भ्रामक एवं झुठी दलील दिये जाने के कारण पूर्व में हुए बटवारा को नकारते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। चकबंदी पदाधिकारी, अरवल द्वारा रामचरित्र महतो वगैरह (विपक्षी) द्वारा लाये गये वाद संख्या 140/3221 वर्ष 1978 में रामचरित्र महतो वगैरह के दावे को पूर्णरूपेण अस्वीकार किये जाने के पश्चात चकबंदी की धारा 11, धारा 15 (1) एवं धारा 13 (4) के अंतर्गत आदेश पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में विषयांकित भूमि की मापी के उपरांत पिलरिंग कराने का आदेश न्यायालय से किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वाद मे सन्निहित खाता सं० 149 प्लॉट सं० 160 रकबा 01 एकड़ अवस्थि मौजा महुअरी नुरुउल्लाह थाना जिला अरवल की भूमि प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमि है। जिसके खतियानी रैयत पंचत महतो थे। उक्त खतियानी रैयत की भूमि बटवारा के पश्चात चारो लड़के 1. रामरतन महतो, 2. देवन महतो एक साथ रहने लगे तथा 3. त्रिवेणी महतो एवं 4. रामप्यारे महतो एक साथ रहने लगे। चुकि रामरतन महतो नाबल्द थे इसलिए उनके हिस्से की जमीन देवन महतो एवं उनके पुत्र को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार रामप्यारे महतो के नाबल्द होने के कारण उनके हिस्से की भूमि त्रिवेणी महतो एवं उनके पुत्र को प्राप्त हुआ। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत खाता प्लाट के भूमि के अलावे खतियानी रैयत की सभी भूमि का बटवारा वर्ष 1920 ई० में हुआ था। खाता सं० 149 प्लॉट सं० 160 रकबा 2 एकड़ 27 डी० भूमि प्रतिवादी सं० 04 के पिताजी त्रिवेणी महतो एवं उनके साथ रहने वाले भाई रामप्यारे महतो मिला था। बटवारे के अनुरूप रिटर्न जमाबंदी भी प्रार्थी के पूर्वज के नाम पर कायम है। उनका यह भी कहना है कि अपील आवेदन पत्र की कंडिका 3 में अंकित सन्निहित प्लॉट सं० 160 में 75 2/3 डी० भूमि अपीलार्थी के दादा के द्वारा देवन महतो से दिनांक 22.01.1932 ई० को खरीदी गई। उसी प्रकार कंडिका 4 में अंकित है कि रामरतन महतो से विषयांकित खाता प्लॉट में से 82 डी० भूमि तील कुंवर के नाम से 15.04.1948 ई० को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये है। उसी प्रकार कंडिका 5 में अंकित है कि खाता नं० 149 प्लॉट नं० 160 रकबा 55 डी० भूमि तील कुंवर से अपीलार्थी की मां राम कुंवर के नाम से 14.06.1951 ई० को खरीदी गई थी।

उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं० 04 रामकेवल महतो के पिता त्रिवेणी महतो एवं उनके साथ रहने वाले भाई रामप्यारे महतो को पंचायती बटवारा द्वारा प्राप्त हुआ था एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की बिक्री नहीं की गई है। यदि उनसे भिन्न फरिक्कैन द्वारा उक्त भूमि की बिक्री की गई है तो वह वसीका अवैध एवं फर्जी है। जिस भूमि को अपीलार्थी केवाला के माध्यम से क्रय करने का उल्लेख करते है। उक्त भूमि का फर्जी केवाला चार बार तैयार किया गया है। पहली बार 20.01.1932 ई० विक्रेता देवन महतो एवं क्रेता बलदेव मिश्र, दुसरी बार

10.02.1943 ई0 विक्रेता रामरतन महतो एवं देवन महतो एवं क्रेता अलखी कुंवर, तीसरी बार दिनांक 15.04.1948 को विक्रेता रामरतन महतो एवं क्रेता तिल कुंवर देवी एवं चौथी बार दिनांक 14.06.1951 को विक्रेता तिल कुंवर देवी एवं क्रेता अपीलार्थी की मां राम कुंवर हैं। इस प्रकार चारों केवाला फर्जी है। जिसका मूल प्रति न्यायालय में मंगवाकर देखा जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि हल्का कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी को मेल में लेकर फर्जी निष्पादित केवाला दिखाकर दाखिल खारिज करवा लिया गया जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को स-समय नहीं हो सका था। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल द्वारा भी स्पष्ट किया गया है एक ही भूमि को बार-बार निबंधित किया गया है इसलिए यह मामला सक्षम न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार आपीलार्थी द्वारा दाखिल सीमांकन आवेदन पत्र निराधार, बेबुनियाद, तथ्यहीन एवं तर्कहीन है जो तथ्य एवं कानून के आलोक में तत्काल खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख स्थित कागजातों के अवलोकन/परिशीलन से विदित होता है प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि को हकियत के दावा स्पष्ट करने के बिन्दु पर संबंधित पक्षों को विस्तृत रूप से सुनना एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत संबंधित कागजातों की समीक्षा तथा स्थलीय जाँच करना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी पूर्व के आदेशों के साथ-साथ चकबंदी न्यायालय के आदेश को भी परिशीलन करने का निदेश दिया गया है। इस लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल को निदेश दिया जाता है कि (1) निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व सीमांकन वाद, (2) धारा 145 (केस नं0 9 M/1978) (3) क्रिमीनल रिविजन सं0 899/1985 (4) चकबंदी द्वारा पारित आदेश एवं उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कागजातों का समीक्षा कर युक्तियुक्त आदेश तीन माह के अंदर पारित करेंगे।

अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर एक माह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के न्यायालय में वाद लाना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,  
अरवल।

समाहर्ता,  
अरवल।

